पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1675

दिनांक-14.09.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-नगराम

- **थाना नगराम पुलिस टीम द्वारा चाकू मारकर हत्या का प्रयास करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही विवरणः-

श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ श्री तरूण गाबा व संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) श्रीमती अपर्णा कुमारके निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री मोहम्मद मुश्ताक के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री रल्लापल्ली वसन्थ कुमार व सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलाललगंज श्री राजेश कुमार सिंह के मार्गदर्शन में एवं प्रभारी थाना नगराम श्री अंजनी कुमार सिंह के नेतृत्व में चाकू मारकर हत्या का प्रयास करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

02-संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक-13.09.2026 को वादी मुकदमा लल्ला प्रसाद पुत्र स्व0 रामबली निवासी ग्राम बलसिहखेड़ा,थाना नगराम जनपद लखनऊ द्वारा तहरीर दी कि अभियुक्त रामतीर्थ द्वारा चाकू से हमला कर अपनी सास व मेरी पत्नी (अभियुक्त की चाची) को घायल कर देने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना नगराम पर मु0अ0सं0-138/2026 धारा-109(1)/118(1) बीएनएस बनाम रामतीर्थ पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं आलाकत्ल बरामद हेतु पुलिस उपायुक्त दक्षिणी द्वारा 02 पुलिस टीम गठित की गयी। गठित पुलिस टीम द्वारा टैक्निकल एवं मैनुअल साक्ष्यों एवं स्थानीय सूचना तंत्र के माध्यम से दिनांक-14.09.2026 को अभियुक्त रामतीर्थ को गिरफ्तार कर नियमानुसार कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

03-पूछताछ विवरण एंव माड्यूस आपरेंडीः-

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि साहब मेरी पत्नी परिवारिक विवाद के कारण करीब एक साल से घर नही आ रही थी। वह अपने मायके में रह रही थी। मेरी सास मेरी चाची के घर आई थी, पारिवारिक विवाद के कारण तंग आकर मैने अपनी सास व चाची को चाकू से मारकर घायल कर दिया तथा मौके से भाग गया। साहब मुझसे गलती हो गयी, मुझे माफ कर दीजिए।

04-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

01-रामतीर्थ पुत्र राम मिलन निवासी ग्राम बलसिहखेड़ा, थाना नगराम जनपद लखनऊ

05-पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

01-मु0अ0स0- 138/2025 109(1)/118(1) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नगराम जनपद लखनऊ

06-बरामदगी विवरणः-

- कब्जे से आलाकत्ल 01 अदद धारदार लोहे का चाकू बरामद।

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- थाना नगराम पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1673
दिनांक- 14.09.2026

जोन-उत्तरी/थाना- मलिहाबाद

- **थाना मलिहाबाद पुलिस द्वारा जानलेवा हमले के अभियोग से संबंधित एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया।**
- **कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद।**

01- संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.09.2026 को ग्राम ढेढेमऊ थाना मलिहाबाद स्थित दुर्गेश जनसेवा केन्द्र के पास समरेन्द्र कुमार यादव को गोली मारकर घायल किये जाने के सम्बन्ध में थाना मलिहाबाद पर वादी मुकदमा श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र उमा शंकर यादव निवासी ग्राम सैफलपुर थाना काकोरी लखनऊ की तहरीरी सूचना के आधार पर मु0अ0सं0 175/2026 धारा 109(1)/61(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना मलिहाबाद पुलिस टीम द्वारा घटना के अनावरण, संलिप्त व्यक्तियों की तलाश एवं गिरफ्तारी तथा अवैध असलहे की बरामदगी हेतु लगातार पतारसी- सुरागरसी एवं दबिश की कार्यवाही की जा रही थी।

इसी क्रम में दिनांक 14.09.2026 को मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये एक बालअपचारी द्वारा स्वयं थाना मलिहाबाद पर उपस्थित होकर घटना के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गयी। नियमानुसार बाल कल्याण अधिकारी की उपस्थिति में बालअपचारी की जामातलाशी ली गयी, जिसके दौरान उसके कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर एवं 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। बरामदगी के सम्बन्ध में मुकदमा उपरोक्त में धारा 9/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी।

बालअपचारी से पूछताछ में घटना के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में आये हैं, जिनके आधार पर घटना में संलिप्त अन्य व्यक्तियों की तलाश एवं घटना में प्रयुक्त अन्य अवैध असलहे की बरामदगी हेतु पुलिस टीमों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

बालअपचारी की जन्मतिथि सम्बन्धी विद्यालय अभिलेखों से उसकी आयु घटना के समय 18 वर्ष से कम होना पायी गयी। अतः बालअपचारी के सम्बन्ध में किशोर न्याय सम्बन्धी प्रचलित विधिक प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही की जा रही है तथा उसकी पहचान गोपनीय रखी गयी है।

02-पूछताछ का विवरण-

बालअपचारी द्वारा घटना एवं घटना में संलिप्त अन्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गयी है। प्राप्त जानकारी के आधार पर अन्य व्यक्तियों की तलाश एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

03-पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1- मु0अ0सं0 175/2026 धारा 109(1)/61(1) बीएनएस व वृद्धि धारा 9/25 आर्म्स एक्ट, थाना-मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।

04-पुलिस अभिरक्षा में बाल अपचारी का विवरण-

- बाल अपचारी उम्र करीब 16 वर्ष

05-बरामदगी–

- 01 अदद अवैध तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस

06-कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 प्रमोद कुमार, थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।
2. का0 सुशील कुमार, थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।
3. का0 मोहित कटारिया, थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0--1677
दिनांक-14.09.2026

जोन- पूर्वी/ थाना-इन्दिरानगर

- **थाना इन्दिरानगर पुलिस द्वारा फरार/वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

01- संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.07.2026 को वादी श्री जितेन्द्र जेठवानी पुत्र स्व0 श्री हिम्मत सिंह जेठवानी, स्थायी निवासी सेक्टर-16/885, इन्दिरानगर, थाना गाजीपुर, लखनऊ एवं अस्थायी निवासी मकान नं0 634जी/पी-48, खसरा नं0 48, न्यू जरहरा, अमराई गांव, थाना इन्दिरानगर, लखनऊ द्वारा थाना इन्दिरानगर पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया कि वादी के मकान में स्थित दुकान पर मौजूद उनकी पत्नी एवं पुत्री के साथ चार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया तथा उनकी पत्नी के साथ मारपीट की गयी। घटना के दौरान भागते समय मौके पर मौजूद व्यक्तियों द्वारा दो व्यक्तियों, **1. स्वतंत्र कुमार रावत पुत्र विनय कुमार रावत, 2. मो0 हसीब पुत्र मो0 रईस,** को पकड़ लिया गया तथा पुलिस को सूचना दी गयी।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना इन्दिरानगर पर **मु0अ0सं0 190/2026 धारा 309(6)/317(2)/3(5) बीएनएस** पंजीकृत किया गया। अभियुक्त स्वतंत्र कुमार रावत एवं मो0 हसीब को दिनांक 22.07.2026 को ही गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है।

उक्त अभियोग में फरार/वांछित चल रहे अभियुक्त **शुभम मिश्रा उर्फ सिन्टू पुत्र राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा, निवासी बी-229, दीनदयाल पुरम, तकरोही, थाना इन्दिरानगर, लखनऊ** को आज दिनांक 14.09.2026 को उसके निवास स्थान से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-शुभम मिश्रा उर्फ सिन्टू पुत्र राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा, निवासी बी-229, दीनदयाल पुरम, तकरोही, थाना इन्दिरानगर, लखनऊ, उम्र करीब 31 वर्ष।

03- अभियुक्त शुभम मिश्रा उर्फ सिन्टू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-64/2025 धारा-310(2)/311/317(3) बीएनएस व 3/25 आयुध अधिनियम थाना सफदरगंज, बाराबंकी।
2. मु0अ0सं0-14/2025 धारा-310(2)/311/317(3) बीएनएस व 3/25 आयुध अधिनियम, थाना हरचन्द्रपुर, रायबरेली।
3. मु0अ0सं0 134/2025, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना हरचन्द्रपुर, जनपद रायबरेली।

04-पंजीकृत/अनावरित अभियोग का विवरण-

01-मु0अ0सं0 190/2026, धारा 309(6)/317(2)/3(5) बीएनएस, थाना इन्दिरानगर, कमिश्नरेट लखनऊ।

05- अभियुक्त की गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री अजय नारायण सिंह, प्रभारी निरीक्षक, थाना इन्दिरानगर।
2. उ0नि0 श्री दिलीप कुमार चौबे।
3. हे0का0 अखिलेश कुमार शर्मा।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1676
दिनांक-14.09.26

जोन- पूर्वी/ थाना-गाजीपुर

- **थाना गाजीपुर पुलिस द्वारा फर्जी निवेश कम्पनी के माध्यम से निवेशकों से धनराशि जमा कराकर गबन करने के प्रकरण में 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **एजेंट बनाकर निवेशकों से धनराशि जमा करायी तथा वेतन एवं निवेशित धनराशि पर 5 प्रतिशत मासिक ब्याज देने का दिया था प्रलोभन।**
- **निवेशकों की धनराशि लेकर फरार होने एवं वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी देने के प्रकरण में पुलिस की कार्रवाई।**

01-संक्षिप्त विवरण

दिनांक 06.02.2024 को वादी मोहम्मद अहमद पुत्र दीन मोहम्मद, निवासी ग्राम मामपुर, कुर्सी रोड, अमीर अली शाह तकिया, देवा देहात, थाना देवा, जनपद बाराबंकी द्वारा थाना गाजीपुर पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा आरोप लगाया गया कि ब्लूधौऊ ट्रेडिंग कम्पनी के संचालकों द्वारा उसे कम्पनी में एजेंट के रूप में कार्य करने तथा लोगों से धनराशि निवेश कराने पर प्रतिमाह वेतन एवं निवेशित धनराशि पर 5 प्रतिशत मासिक ब्याज देने का प्रलोभन दिया गया। आरोपियों के झांसे में आकर वादी द्वारा स्वयं तथा अपने सगे-संबंधियों एवं परिचितों से भी उक्त कम्पनी में धनराशि निवेश करायी गयी।

कुछ समय पश्चात कम्पनी के संचालक निवेशकों की धनराशि लेकर फरार हो गए तथा धनराशि वापस मांगने पर भुगतान करने से इंकार करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी। इस संबंध में थाना गाजीपुर पर मु0अ0सं0 54/2024 धारा 406/420/506 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियोग में धारा 409/420/506 भादवि की तरमीम की गयी।

प्रकरण में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना गाजीपुर पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे। विवेचना के क्रम में अभियुक्तों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिक नोटिस प्रेषित किया गया। दिनांक 13.09.2026 को नोटिस के अनुपालन में अभियुक्त **घनश्याम यादव** एवं **प्रवीन कुमार** चौकी एचएएल, थाना गाजीपुर पर उपस्थित हुए। पूछताछ के दौरान दोनों अभियुक्तों से अपने बचाव में साक्ष्य एवं अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु कहा गया, किन्तु वे कोई वैध साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके।

विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि घटना के समय दोनों अभियुक्त ब्लूधौऊ ट्रेडिंग कम्पनी के निदेशक (Director) के पद पर थे तथा कम्पनी के माध्यम से निवेशकों से धनराशि एकत्रित करने में उनकी सक्रिय भूमिका थी। पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने पर दोनों अभियुक्तों को धारा 409/506 भादवि के अंतर्गत नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास के संबंध में अन्य थाना एवं जनपदों से जानकारी की जा रही है।

02- अपराध का उद्देश्य-

निवेशकों को अधिक लाभ का प्रलोभन देकर धनराशि निवेश कराना एवं अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करना।

03- गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. घनश्याम यादव पुत्र जगदेव यादव, निवासी ग्राम मझपूरवा, पोस्ट शुगर मिल, थाना नगर कोतवाली, जनपद बाराबंकी, उम्र करीब 31 वर्ष।

2. प्रवीन कुमार पुत्र स्व0 सुन्दर लाल, निवासी ग्राम बनियानी, पोस्ट सिरौली सुरजनपुर, थाना फतेहपुर, जनपद बाराबंकी, उम्र करीब 39 वर्ष।

04- आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 54/2024, धारा 409/420/506 भादवि, थाना गाजीपुर, कमिश्नरेट लखनऊ।

2. मु0अ0सं0 252/2020, धारा 120-B/409/420/506 भादवि, थाना गाजीपुर, कमिश्नरेट लखनऊ।

05-अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री प्रभात बालियान
2. का0 प्रदीप कुमार
3. का0 अंकित मिश्रा

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-1672
दिनांक-14.09.2026

जोन-उत्तरी / थाना- बी0के0टी

- **थाना बीकेटी पुलिस द्वारा फर्जी किसान बनकर रजिस्ट्री करने का अभियोग में 01 शातिर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।**

01- संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.03.2026 को वादी श्री प्रेम कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट पुत्र स्व० द्वारिका प्रसाद श्रीवास्तव निवासी ग्राम कोटवा सड़क परगना सूर्यपुर तहसील व थाना राम सनेही घाट जिला बाराबंकी द्वारा थाना हाजा पर एक तहरीर कि वादी के बाबा स्व०बाबू राम पुत्र राज बहादुर के नाम से एक फर्जी व्यक्ति बनकर फर्जी कागजात तैयार कर जमीन का बैनामा मनोज कुमार के नाम कर देने के सम्बन्ध में दी गयी। जिसके आधार पर पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 109/2026 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। प्रकरण की विवेचना उ0नि0 श्री राकेश कुमार यादव द्वारा संपादित की जा रही है।

आज दिनांक 14.09.2026 को मुकदमे में नामित/वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा तलाश की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमे से संबंधित वांछित अभियुक्त बृजेश कुमार उर्फ पण्डित पुत्र रामगोपाल निवासी जयकरन पुरवा मजरा बहरौली थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी बेहटा किसानपथ पर मौजूद हैं इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर अभियुक्त को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पकड़े गए अभियुक्त को उनके विरुद्ध पंजीकृत अभियोग एवं गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराते हुए नियमानुसार दिनांक 14.09.2026 को गिरफ्तार किया गया।

02-अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 109/2026 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस थाना बीकेटी लखनऊ

अन्य आपराधिक इतिहास के संबन्ध में जानकारी की जा रही है।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. बृजेश कुमार उर्फ पण्डित पुत्र रामगोपाल निवासी जयकरन पुरवा मजरा बहरौली थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी उ0प्र0 उम्र 36 वर्ष-मजदूरी

04-बरामदगी –

आधार कार्ड व 510 रूपये

05-गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 राकेश कुमार यादव थाना बीकेटी, लखनऊ
2. उ0नि0 अभिमन्यू सिंह थाना बीकेटी, लखनऊ
3. का0 अम्ब्रीष सिंह थाना बीकेटी, लखनऊ